न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 140/2014 दायर दिनांकः 23.09.2014

उनवान

1– शंकरलाल पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

2– बापूलाल पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

3– किशनबाई पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

4– परवत पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

5– रुकमाबाई पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

6– नोरंगबाई पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

7– सोपतबाई पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

8– अयोध्याबाई बेवा उदा जाति चमार नि. दांता तहसील पिड़ावा

वादीगण

बनाम

1– नारान पि. देवा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

2– सीताबाई पि. देवा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

3– धापूबाई पि. देवा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

4– चतर पि. मांगू जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

5– भगवान पि. मांगू जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

6– बालीबाई बेवा मांगू जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

वकील वादीगण – श्री फिरोज अहमद खान

प्रतिवादीगण – एकतरफा

Signature Not Verified

निर्णय दिनांक : 07.05.2026

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का पारिवारिक शजरा वाद पत्र के पेरा [illegible] में अंकित अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार वादी व प्रतिवादीगण आपस में सगे संबंधी है। खाता स. नया 351 पुराना 320 की आराजी ख.न. 1244 रकबा 0-08 बीघा, 1259 रकबा 1-07 बीघा, 1260 रकबा 0-02 बीघा, 1261 रकबा 0-05 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 2-02 बीघा ग्राम दांता तहसील पिड़ावा मे वाके है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के शामलाती खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि वादीगण के पितामह भुवान के खातेदारी की भूमि थी भुवान की मृत्यु के बाद उक्त पैरा नम्बर 2 मैं वर्णित भूमि भुवान के दोनों पुत्रों देवा व धन्ना के पास पारिवारिक समझौते में व पारिवारिक बंटवारे में समान रूप से आई याने 1/2 हिस्सा देवा के पास आया और 1/2 हिस्सा धन्ना के पास आया। देवा व धन्ना की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण मृतक धन्ना के जायन वारिसान होने के कारण मृतक धन्ना का उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि के उसके 1/2 हिस्सा वादीगण के पास आया। इस प्रकार वादीगण उक्त पैरा नम्बर 2 मैं वर्णित भूमि के 1/2 भाग के खातेदार टीनेन्ट है। मृतक देवा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 व मृतक देवा की बैवा सुहागबाई व देवा के पुत्र बगदू के पास समान रूप से आई याने मृतक देवा का 1/2 हिस्सा देवा की पत्नी सुहागबाई व देवा के पुत्र मांगू, नारायण व बगदू व पुत्रीया सीताबाई, धापूबाई के पास आई। दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि में देवा के हिस्से में से देवा की मृत्यु के बाद देवा की विधवा सुहागबाई व पुत्र बगदू ने अपने भाई नारायण, मांगू व बहन सीताबाई धापूबाई की सहमति व अनुमति से पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि का 1/3 हिस्सा वादी बापू पुत्र धन्ना चमार निवासी दांता को बय करके कब्जा सौंप दिया इस कारण उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का तन्हा खातेदार बापूलाल पुत्र धन्ना चमार निवासी दांता है। चूंकि मृतक देवा की विधवा व देवा के पुत्र उदा ने अन्य प्रतिवादीगण व अपने भाईयों मृतक मांगू व [illegible] उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि के 1/3 हि[illegible] बापू पुत्र धन्ना को कर दिया है इस [illegible] देवा के 1/2 हिस्से में से कम होने के कारण प्रतिवादीगण [illegible]गायत 6 का दावे के पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 2 में वर्णित भूमि में अब हिस्सा 1/6 रह गया है और प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि में 1/6 हिस्से से अधिक पाने के अधिकारी नहीं है तथा प्रतिवादीगण का उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि में हिस्सा व अधिकार 1/6 का है। वादीगण के पितामह भुवान जी की उक्त पैरा नम्बर 2 मैं वर्णित भूमि के अतिरिक्त खाता नम्बर 75 पुराना खाता नम्बर 58 की आराजी ख.न. 1178 रकबा 1–19 बीघा व खाता सं. 420 की 1–11 बीघा भूमि ग्राम दाँता तहसील पिडावा में वाके थी जिस सभी भूमियों बाबत याने उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित व खाता नम्बर 75 व खाता नम्बर 420 में वर्णित आराजीयात के बाबत पारिवारिक समझौता इस प्रकार हुआ कि उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजितयात वादीगण के पिता धन्ना व प्रतिवादीगण के पिता देवाजी के पास आई तथा खाता नम्बर 75 की भूमि प्रतिवादीगण के पिता देवा व भुवानजी के दूसरे पुत्र कान्हा के पास समान रूप से आई तथा खाता नम्बर 420 की भूमि वादीगण के पिता धन्नाजी के तन्हा खाते में रखी गई। पारिवारिक समझौते के तहत पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पास उनके पिता की मृत्यु के बाद आई और चूंकि खाता नम्बर 75 की भूमि ख.न. 1178 वाके ग्राम दाँता तहसील पिड़ावा कान्हा पुत्र भुवाना के व देवा के खातेदारी में आई जिसे उन्होंने किशन पुत्र माधु चमार साकिन गागरनी तहसील सुसनेर को बय कर दिया है इस कारण से कान्हा व उसके पुत्र रोड़ा का व रोड़ा के पुत्र बापू, दशरथ कालीबाई का दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि में कोई हिस्सा नहीं है इस कारण से इस दावे में कान्हा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मृतक भवानाजी की उपरोक्त वर्णित तीनों खातों की भूमियाँ के सम्बन्ध मै जो पारिवारिक समझौता व सेटलमेन्ट हुआ उससे मृतक भवाना के तीनों पुत्र कान्हा, देवा, धन्ना व इन तीनों के वारिसान इस समझौते से सहमत थे और इसी समझौते के तहत जो जो भूमिया पारिवारिक सेटलमेन्ट में भुवाना के तीनों पुत्रों के वारिसान अपनी अपनी आराजीयात पर मौके पर काबिज है व चले आ रहे है। पारिवारिक समझौते से प्रतिवादीगण व अन्य सभी पक्षकार भी दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि का अभी तक कानून सम्मत विभाजन नहीं हुआ है तथा वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का संयुक्त हिस्सा (बापूलाल पि. धन्ना के 1/3 हिस्से को छोडकर) वादीगण का संयुक्त हिस्सा 1/2 का है और वादीगण अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त करने व अपना खाता अलग कराने और उक्त पैश नम्बर 2 में वर्णित आराजी का कानून सम्मता विभाजन कराने के अधिकारी है। दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से का तन्हा खातेदार टीनेन्ट बापूलाल पुत्र धन्ना चमार निवासी दाँता वादी है और वह अपना 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/6 का है चूंकि मृतक देवा की मृत्यु के बाद उसकी विधवा व पुत्र बगदू ने प्रतिवादीगण की सहमति से उक्त भूमि का 1/3 हिस्सा बापू को बय कर दी जिसका 1/3 हिस्सा देवा के 1/2 हिस्से में से कम होने के कारण प्रतिवादीगण का इस भूमि में हिस्सा 1/6 शेष रह गया है इस कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि के 1/6 हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी व हकदार है। राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण व उनकी माता व मृतक देवा की विधवा सुहागबाई व देवा के पुत्र उदा व मांगू के नाम दोषपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज कर दी गई और वादीगण व उनके पिता का नाम इस भूमि में गैर कानूनी तरीके से राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से दर्ज नहीं किया गया इस कारण से सरकारी रेकार्ड में प्रतिवादीगण व सुहागबाई व बगदू के नाम दर्ज की गई संपूर्ण प्रविष्टियाँ अवैध व शून्य है और निरस्तनीय है। उपरोक्त अवैध व शून्य व गैर कानूनी इन्द्राजात से प्रतिवादीगण को उक्त पैरा नं. 2 में वर्णित भूमि में कोई कानूनी अधिकार तन्हा रूप से प्राप्त नहीं है। उक्त अवैध व शुन्य गैरकानूनी रूप से दर्ज किये गये इन्द्राजात से दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि में वादीगण के अधिकार में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये गये अवैध व शून्य इन्द्राजात वादीगण पर प्रभावहीन है और वादीगण सरकारी रेकार्ड में प्रतिवादीगण व सुहागबाई आदि के नाम अंकित किये गये अवैध व शून्य इन्द्राजात को सही व दुरस्त कराने का अधिकारी है। जमीनो की बढती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण की नियत में बदनियती आ गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिस कारण से प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने अन्तिम रूप से दिनांक 16.08.2014 को दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि का रेकार्ड सही कराने व 1/2 हिस्से पर वादीगण का नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया है व कानून सम्मत विभाजन करने से भी मना कर दिया है जिस कारण से वादीगण लिए यह वाद लाना आवश्यक हो गया है तथा प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकी दी इस कारण उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना जरूरी है। वाद कारण दिनांक 16.08.2014 को अन्तिम बार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि के 1/2 भाग पर वादीगण का नाम दर्ज कराने से इन्कार करने व इस भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने, कानून सम्मत बंटवारा करने से इन्कार करने के कारण उत्पन्न हुआ है। सरकार को लैण्ड होल्डर की हैसियत से पार्टी बनाया गया है किन्तु उनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाहा गया है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पैश है। दावा श्रीमान् की अदालत की समाअत का होने से पेश है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चा डिक्री फरमाया वाकर दावे के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि का कानून सम्मत बंटवारा किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा 1/3 हिस्से को यथावत बापूलाल पुत्र धन्ना निवासी दाँता के खाते में अलग से दर्ज किया जावे और इस भूमि के 1/6 हिस्से पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का नाम दर्ज किया जाये। सरकारी रेकार्ड में डिक्री के अनुसार दुरुस्ती करवाई जाये। वादीगण का व प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग किया जाये और हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा भी वादीगण को पटवारी कानूनगो द्वारा सम्भलाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद जैन उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया। नियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण के अनुस्थित रहने पर मुताबिक आदेशिका दिनांक 15.11.2018, दिनांक 07.11.2019 से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दांता तहसील पिडावा के खाता सं. 351 जमाबंदी सं. 2067–70 प्रदर्श 1, खाता सं. 148 जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श 2, खाता सं. 14, 18, 26 जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 3, 4, 5 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बापूलाल पि. धन्ना, सरदारसिंह पि. मांगीलाल PW1 to PW2 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि यह कि आराजियात ख.न. 1244, 1259, 1260, 1261, कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम दांता तहसील पिडावा के सम्बन्ध में उक्त वाद न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा दावा दर्ज करने के पश्चात प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये किन्तु बावजूद इत्तला प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुये और न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वादीगण की ओर से न्यायालय के आदेश से एक पक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिसमें मौख़िक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू 1 बापूलाल व पीडब्ल्यू 2 सरदारसिंह के बयान करवाये गये है व दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 व जमाबन्दी बन्दोवस्त सम्वत 2022 से 2089 व जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्बत 2022 से 2009 खातेदार भवाना वल्द रामा चमार व जमाबन्दी नाम खातेदार रोडिया वल्द कान्हा वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। उक्त विवादग्रस्त ग्राम दांता की आराजीयात खसरा नम्बर 1244, 1259, 1260, 1261 वाके ग्राम दॉंता वादीगण के पितामह भवाना [illegible] दारी की भूमि है। भवाना के तीन पुत्र कान्हा, [illegible] थे। भवाना की मृत्यु के वाद उक्त विवादित [illegible] 1178 वाके ग्राम दांता भवाना के तीनों पुत्रों यानि वादीगण [illegible] पिता धन्ना प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पिता देवाजी व भवाना के अन्य पुत्र कान्हा के पास समान रूप से आई। तीनों भाईयों में आपसी पारिवारिक समझौता इस प्रकार हुआ कि उक्त वर्णित विवादग्रस्त 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता धन्ना व प्रतिवादी के पिता देवाजी के पास समान रूप से हिस्से में आई। तथा आराजी ख.नम्बर 1178 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दांता प्रतिवादीगण के पिता देवा व कान्हा पिता भवाना के शामलाती हिस्से में आई। कान्हा की मृत्यु के बाद आराजी ख.न. 1178 उसके पुत्र रोड्या वल्द कान्हा के पास आई। इस आराजी ख.न. 1178 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को प्रतिवादीगण के पिता देवा व रोड्या पुत्र कान्हा चमार ने संयुक्त रूप से किशन पुत्र माधु चमार निवासी गागरनी तहसील सुसनेर जिला आगर म०प्र० को बेच दी। इस वजह से कान्हा के पुत्रों व पुत्रीयों का विवादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। ख.न. 1178 बाबत मौजूदा वाद भी इसी कारण से नहीं लाया गया है। और इस बाबत 1178 बाबत कोई विवाद नहीं है। पारिवारिक समझौते के पश्चात विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1244, 1259, 1260, 1261 कुल 4 खसरा कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम दांता वादीगण के पिता धन्ना व प्रतिवादीगण के पिता देवा के शामलाती खातेदारी में दर्ज नहीं होकर केवल प्रतिवादीगण के पिता देवा के नाम लग गई और देवा की मृत्यु के बाद देवा के वारिसान ने इस भूमि में से 1/3 हिस्सा वादी नम्बर 2 को बापूलाल को 05.06.1999 को बय कर दिया और 1/3 हिस्सा बापूलाल वादी के नाम दर्ज कर दिया गया। लेकिन पारिवारिक समझौते के तहत विवादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करने से रह गया और 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के अधिकार में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। प्रतिवादीगण के नाम विवादग्रस्त भूमि में दर्ज इन्द्राजात अवैध व शून्य होने से वादीगण पर प्रभावहीन है और वादीगण अवैध व शून्य इन्द्राजगत को सही दुरुस्त करवाने व विवादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से पर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने अन्तिम बार 16.08.2014 को विवादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग पर वादीगण का नाम दर्ज कराने व इस भूमि का कानूनन सम्मत बंटवारा करने से इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया इस कारण वादीगण के लिए वाद लाना आवश्यक हो गया। वादीगण की एक पक्षीय साक्ष्य से यह साबित है कि विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी है जिस पर 1/2 हिस्से पर उनका अधिकार कब्जा व काश्त है और विवादग्रस्त आराजीयात का अभी तक कानून सम्मत बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण विवादग्रस्त आराजीयात का कानून सम्मत बंटवारा किया जाकर इन आराजीयात के 1/2 भाग का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा विवाद्रग्रस्त आराजीयात के 1/3 भाग का वादी नम्बर 2 बापूलाल पुत्र धन्ना चमार को अलग खाता दर्ज किया जावे व शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज किया जावे और वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे।

5. हमने उपस्थित विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा पर गौर किया। ग्राम दांता तहसील पिड़ावा के खाता संख्या 351 ख.नं. 1244, 1259, 1260 व 1261 किता 4 रकबा 2–02 बीघा जमाबंदी सं. 2067–70 प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादी सं. 3 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 1 हि. 1/6, प्रतिवादी सं. 2 व 3 हि. 1/3 व प्रतिवादी सं. 4 से 6 हि. 1/6 की सहखातेदारी में दर्ज है। अतः साबित है कि वादी सं. 3 एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है और सहखातेदार कृषको को अपनी भूमि का विधिक बंटवारा कराने का कानूनी अधिकार है। **अभिभाषक वादीगण का कथन है कि भुवाना चमार के ग्राम दांता में दो अलग अलग खाते थे जिसमें से एक खाते में ख.नं. 1244, 1259, 1260 व 1261 किता 4 एवं दूसरे खाते में ख.नं. 1178, 747, 1248 व 1249 किता 4 थे।** पेश सेंटलमेंट जमांबदी सं. 2022–41 प्रदर्श 3, 4 एवं प्रदर्श 5 के अवलोकन से जाहिर है कि ख.नं. 1259, 1260, 1261 किता 3 कुल रकबा 1–14 बीघा देवजी वल्द भवाना चमार के खाते, ख.नं. 1178 रकबा 1–19 बीघा रोडिया वल्द काना चमार एवं ख.नं. 747, 1248 व 1249 किता 3 रकबा 1–11 बीघा भवाना वल्द रामा चमार के खाते दर्ज थी। अतः स्पष्ट है कि सेंटलमेंट जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी में से ख.नं. 1259, 1260 व 1261

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किता 3 रकबा 1–14 बीघा देवजी वल्द भुवान के खाते दर्ज थी जबकि ख.नं. 1244 रकबा 0–08 बीघा की सेंटलमेंट जमाबंदी वादीगण द्वारा पेश नहीं की गई है। वादीगण द्वारा सेंटलमेंट से पूर्व की कोई ऐसी जमाबंदी या दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि सम्पूर्ण आराजी ख.नं. 747, 1178, 1248, 1249, 1259, 1260, 1261 किता 8 कुल रकबा 5–04 बीघा मूलतः भुवाना चमार के खाते दर्ज थी। साक्ष्य के अभाव में यह साबित नहीं है कि सेटलमेंट के दौरान जो भूमियां देवजी वल्द भुवान व रोडिया वल्द काना के खाते दर्ज है, वे उन्हे विरासत में अपने पिता/दादा भुवान चमार से प्राप्त हुई हो। साक्ष्य के अभाव में उक्त आराजियात खातेदारान की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं होकर, स्वअर्जित सम्पत्तियां होना प्रतीत होती है।

6. अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस के दौरान कथन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण मूलतः एक ही परिवार के सदस्य है एवं मृतक भुवान चमार के वारीसान है जिनका शजरा वाद पत्र के पैरा सं. 1 के अनुसार है लेकिन पारिवारिक शजरे के पक्ष में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहान पीडब्ल्यू 1 व 2 ने अपने सशपथ बयानो में भी उक्त पारिवारिक शजरे की पुष्टि नहीं की है। हालांकि प्रतिवादीगण के न्यायालय में बावजदू सूचना अनुपस्थित रहने एवं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उक्त पारिवारिक शजरे पर न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है। उक्त शजरे के अनुसार भुवान चमार के तीन पुत्र– देवा उर्फ देवजी, धन्ना एवं काना उर्फ कान्हा थे। काना के एक पुत्र रोडा उर्फ रोडिया, देवा के दो पुत्र व तीन पुत्रियां एवं धन्ना के तीन पुत्र व एक पुत्री थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

7. अभिभाषक वादीगण का कथन है कि [illegible] भुवाना की मृत्यु के बाद उनके तीनो पुत्रो– देवा [illegible] काना उर्फ कान्हा के मध्य मौखिक पारिवारिक बंटवारा हुआ था [illegible] हाल खाता सं. 148 के चारो ख.नं. कुल रकबा 2–02 बीघा दो पुत्रो–धन्ना व देवा के समान हिस्से में

Scanned with OKEN Scanner

आये थे जबकि शेष चार ख.नं. – 747, 1178, 1248, 1249 कुल रकबा 3–10 बीघा काना व देवा के समान हिस्से में आये थे। खातेदार देवा व काना द्वारा अपने हिस्से के ख.नं. 1178 रकबा 1–19 बीघा का बेचान किशन वल्द माधो चमार नि. गागरनी तहसील सुसनेर को किया जाकर कब्जा सौप दिया है। आगे तर्क किया कि हाल खाता सं. 148 किता 4 में से देवा की मृत्यु के बाद उसके वारीसान द्वारा अपने 1/3 हिस्से का बेचान वादी सं. 3 बापू पि. धन्ना चमार को कर कब्जा सौप दिया था। आगे तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी सं. 3 का हिस्सा 1/2 पर एवं अन्य वादीगण को शेष हिस्सा 1/2 पर वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसमें प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है।

8. हस्तगत प्रकरण में मूल प्रश्न यह है कि क्या मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर खातेदारो की निजी कृषि भूमि के बंटवारे को मान्यता दी जा सकती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काले व अन्य बनाम उपनिदेशक (उपनिदेशन) 1976 एससी 687 सहित कई महत्तवपूर्ण फैसलो में यह अभिनिर्धारित किया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि के विवाद को सुलझाने और परिवार में शांती स्थापित करने के लिए यदि मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ है और उसे अमल में लाया जा चुका है तो ऐसे मौखिक पारिवारिक बंटवारे को कानूनी मान्यता दी जा सकती है, बशर्ते है कि ऐसे समझौते से नये हक एवं अधिकारो का सृजन नहीं होता हो। मौखिक पारिवारिक बंटवारे को कानूनी मान्यता देने के लिए जरूरी है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आराजी हो, सभी सदस्यों की सहमति एवं स्वैच्छा से हुआ हो, मौखिक समझौते के अनुसार सभी सदस्य अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहे हो और उसका कोई मजबूत साक्ष्य जैसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज, दरामद, बिजली का कनेक्शन, कृषि कार्य हेतु निर्माण या अलग अलग काश्तकारी के साक्ष्य आदि उपलब्ध हो। केवल मौखिक पारिवारिक बंटवारे का कथन कर देने और पारिवारिक सदस्यों के बयान मात्र के आधार पर ऐसी मौखिक व्यवस्थाओ को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी ना तो संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आराजी साबित है और ना ही उक्त मौखिक पारिवारिक समझौते मे सभी सदस्यों की सहमति व स्वैच्छा होना साबित है। भूमि सेटलमेंट के समय से ही पृथक व निजी खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण ने भी न्यायालय मे उपस्थित होकर ऐसे किसी मौखिक पारिवारिक बंटवारे के सहमति व स्वैच्छा से होने को स्वीकार नही किया है। वादीगण द्वारा भुवान चमार की आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 5–04 बीघा का तीनो पुत्रो के मध्य आपसी सहमति से लिखित या मौखिक पारिवारिक बंटवारा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी या स्वतंत्र मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर वादीगण का ही कब्जा कास्त होने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। कब्जे कास्त के संबंध में भूमि धारक या तहसीलदार पिडावा की कोई मौका रिपोर्ट भी पेश नही की गई है। वादीगण द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी किता 8 रकबा 5–04 बीघा के भुवान चमार के खाते दर्ज होने का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजो प्रदर्श 3 से 5 के आधार पर वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1259, 1260 व 1261 किता 3 प्रतिवादीगण के पिता/पति देवा की रिकार्डेड खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी जबकि ख. नं. 1244 के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमरजीत कौर बनाम कर्मवीरसिंह 2006 एससी 392 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि मौखिक कथनो के आधार पर किसी मौखिक पारिवारिक बंटवारे को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक की वह मौके पर बंटवारा होकर पृथक पृथक कब्जे कास्त होना प्रबल लोक साक्ष्यो द्वारा साबित नहीं हो जाता है। यही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सद्दीक बनाम [illegible] मामले में भी अभिनिर्धारित किया है। माननीय [illegible] जोश डा कोस्टा बनाम बसकौरा सदाशिवा शिनाई [illegible] मामले में भी अभिनिर्धारित किया है कि मौखिक पारिवारिक ब[illegible]रा पृथक पृथक कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

काश्त या पब्लिक दस्तावेजो से साबित होना चाहिए। केवल पारिवारिक सदस्यो की गवाही पर्याप्त नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम दांता तहसील पिडावा के खाता संख्या 148 जमाबंदी सं. 2075–78 की किता 4 रकबा 0.5312 है. कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा, प्रतिवादीगण का नाम डिलीट करने व खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीएक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

11. परिणामतः ग्राम दांता तहसील पिडावा के खाता संख्या 148 जमाबंदी सं. 2075–78 की किता 4 रकबा 0.5312 है. कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा, प्रतिवादीगण का नाम डिलीट करने व खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीएक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/5/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)
पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 140 / 2014 दायर दिनांक: 23.09.2014

उनवान

1— शंकरलाल पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

2— बापूलाल पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

3— किशनबाई पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

4— परवत पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

5— रूकमाबाई पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

6— नोरंगबाई पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

7— सोपतबाई पि. उदा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

8— अयोध्याबाई बेवा उदा जाति चमार नि. दांता तहसील पिड़ावा

वदीगण

बनाम

1— नारान पि. देवा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

2— सीताबाई पि. देवा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

3— धापूबाई पि. देवा जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

4— चतर पि. मांगू जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

5— भगवान पि. मांगू जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

6— बालीबाई बेवा मांगू जाति मेघवाल नि. दांता तहसील पिडावा

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

वकील वादीगण — श्री फिरोज मोहम्मद खान

प्रतिवादीगण — एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....मिनजाबिन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम दांता तहसील पिडावा के खाता संख्या 148 जमाबंदी सं. 2075–78 की किता 4 रकबा 0.5312 है. कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे कास्त के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा, प्रतिवादीगण का नाम डिलीट करने व खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीएक्ट खारीज किया जाता है।

07/5/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मिज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के सूद वगैरह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करेगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नामा	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुक्मनामा
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुक्मनामा	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
निशान			निशान

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner